# रावत मिष्ठान भंडार की मिठाइयों और चॉकलेट में जिंदा-मृत कीड़े मिले

## बेकरी उत्पादों में कॉकरोच और मक्खियां मिलीं, पैकिंग पर निर्माण-समाप्ति तिथि भी नहीं

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** रावत मिष्ठान भंडार की अजमेर रोड और नारायण सिंह सर्किल स्थित दुकानों पर शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की। निरीक्षण के दौरान टीम को बेकरी उत्पादों में जिंदा और मृत कीड़े, मक्खियां तथा कॉकरोच मिले। पैकिंग बंद मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों पर निर्माण और समाप्ति तिथि सहित जरूरी जानकारियां भी अंकित नहीं थीं। कार्रवाई के दौरान टीम ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे व अवधिपार सामग्री नष्ट करवाई।

खाद्य सुरक्षा टीम ने सबसे पहले अजमेर रोड स्थित दुकान का निरीक्षण किया। यहां बिक्री काउंटर और चिलर में रखी पैकिंग बंद मिठाइयों पर पैकिंग, निर्माण और समाप्ति तिथि सहित जरूरी जानकारियां नहीं मिली। तैयार खाद्य पदार्थों पर भी आवश्यक विवरण अंकित नहीं था। टीम ने यहां से केसर पिस्ता बर्फी का नमूना लिया। निरीक्षण के दौरान बेकरी काउंटर के नीचे मृत कॉकरोच और मक्खियां मिलीं। मिठाई बनाने वाली जगह पर जमीन पर खाद्य पदार्थों के अवशेष





खाद्य सुरक्षा टीम ने जयपुर में रावत मिष्ठान भंडार के अजमेर रोड और नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रतिष्ठान पर छापा मारा तो यहां मिठाईयों व चॉकलेट में जिंदा-मृत कीडे पड़े मिले।

- खाद्य सुरक्षा टीम ने रावत मिष्ठान भंडार जयपुर की दो दुकानों पर छापा मारा तो पोल खुली
- बिना लाइसेंस संचालित नारायण सिंह सर्किल स्थित रेस्टोरेंट भी बंद कराया टीम ने

और गंदगी भी पाई गई। कच्चा माल रखने के स्थान पर भी साफ-सफाई की कमियां मिलीं। राज कचौरी और दही पूरी जैसे खाद्य पदार्थ अखबार पर रखकर परोसे जा रहे थे। कोल्ड स्टोरेज में रावत मिष्ठान भंडार के नाम से तैयार और पैक किए गए हेजलनट मिल्क तथा रोस्टेड चोको आलमंड हैंडक्राफ्टेड चॉकलेट में जिंदा और मृत कीडे मिले। इन उत्पादों के पैकेट पर भी खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार जरूरी जानकारियां पूरी नहीं थीं।

### बिना वैध लाइसेंस चल रहा था रेस्त्रां

टीम ने नारायण सिंह सर्किल स्थित रावत मिष्ठान भंडार की दूसरी दुकान का निरीक्षण किया। यहां बिना वैध खाद्य लाइसेंस के रेस्टोरेंट संचालित मिला। जांच में पिज्जा टॉपिंग, ब्रेड, पाव, फ्रूट कॉकटेल, एमडीएच चना मसाला, बेबी कॉर्न, रेड चिली सॉस, ग्रीन टी, स्वीट कॉर्न और क्रीम सहित कई अवधिपार खाद्य सामग्री मिली। टीम के अनुसार इन सामग्रियों का उपयोग खाद्य पदार्थ तैयार करने में किया जा रहा था।

जांच में यह भी सामने आया कि रेस्टोरेंट संचालन, खाद्य पदार्थों की दोबारा पैकिंग और समोसा-कचौरी बनाने के लिए आवश्यक श्रेणी का वैध खाद्य लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। इस पर टीम ने रेस्टोरेंट का संचालन तत्काल बंद करवा दिया। साथ ही निर्देश दिए कि संबंधित गतिविधियों के लिए वैध लाइसेंस मिलने तक रेस्टोरेंट संचालन, समोसा-कचौरी निर्माण और खाद्य पदार्थों की दोबारा पैकिंग नहीं की जाए।

### टीम ने अवधिपार सामग्री करवाई नष्ट

नारायण सिंह सर्किल स्थित प्रतिष्ठान से एक्सोटिक डार्क चॉकलेटियर चॉकलेट और काजू पिस्ता रोल के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। इसके अलावा वहां मिली अवधिपार खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा टीम की इस कार्रवाई में दोनों प्रतिष्ठानों पर खाद्य पदार्थों के रखरखाव, स्वच्छता, पैकेजिंग और वैध लाइसेंस से जुड़ी कई अनियमितताएं सामने आईं।

# रिश्वत प्रकरण में सीए के खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्र रद्द

- अदालत ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई व जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच पहले से वित्तीय लेन-देन तथा बकाया राशि का विवाद था। इसकी जानकारी उसने शिकायत में नहीं दी थी। एसीबी ने मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए सीए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी।

**जयपुर** (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने रिश्वत के आरोप से जुडे केस में निजी सीए को राहत देते हुए उसके खिलाफ एसीबी की एफआईआर और आरोप पत्र सहित सभी कार्रवाई को रद्द कर दिया है। अदालत ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई व जांच पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच पहले से वित्तीय लेन-देन तथा बकाया राशि का विवाद था। इसकी जानकारी उसने शिकायत में नहीं दी थी। एसीबी ने मौजूद महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए सीए के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी, जबकि इन परिस्थितियों में उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7र एवं आईपीसी की धारा 420 के जरूरी तत्व ही स्थापित नहीं होते। इसलिए उसके खिलाफ एसीबी की एफआईआर व चार्जशीट सहित अन्य सभी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करना उचित होगा। जस्टिस वीके भारवानी ने यह आदेश सीए पुनीत मोहनोत की आपराधिक याचिका को मंजूर करते हुए दिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच में आयकर विभाग में शिकायतकर्ता के किसी लंबित मामले और किसी लोक सेवक का शामिल होना भी सामने नहीं आ पाया है। दस्तावेजों से सीए की बकाया फीस और उधार की राशि की पुष्टि होती है। इसलिए वैध बकाया राशि मांगने को धोखाधड़ी नहीं कह सकते।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता एसके पंवार ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता सीए और शिकायतकर्ता के बीच पूर्व में पेशेवर संबंध रहे थे। शिकायतकर्ता पर सीए की प्रोफेशनल फीस के 1,04,400 तथा व्यक्तिगत लोन के एक लाख रुपए सहित कुल दो लाख चार हजार रुपए बकाया थे। सीए ने एसीबी की ट्रेप कार्रवाई से पहले ईमेल से शिकायतकर्ता को बकाया राशि जमा कराने के लिए बैंक का विवरण भेजा था। एसीबी ने उसके खिलाफ झूठे तथ्यों पर गलत आपराधिक कार्रवाई की है, जिसे रद्द किया जाए। गौरतलब है कि शिकायतकर्ता ने आरोपी के खिलाफ एसीबी में शिकायत दी थी कि वह आयकर विभाग में लंबित काम करवाने के लिए रिश्वत मांग रहा है। एसीबी ने उसे 24 मई 2022 को दो लाख रुपए लेते हुए ट्रेप किया था, जबकि यह राशि उसकी स्वयं की ही बकाया थी।

### चोर गिरफ्तार

**जयपुर।** वैशाली नगर पुलिस ने गैस सिलेंडर चोरी करने वाले एक शातिर बदमाश शुभम गुर्जर उर्फ बाबू (30) निवासी गणेश नगर मोती डूंगरी को खिरनी फाटक के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी के 11 एलपीजी सिलेंडर बरामद किए। पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि आरोपी आवासीय कॉलोनियों में घूम कर घरों के बाहर रखे सिलेंडर चोरी करता और उन्हें दुकानदारों व थडी-ठेलों पर कम कीमत में बेच देता था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं।

## सार-समाचार

### सास के बैंक लॉकर से सोने के गहने और 3 बिस्किट गायब, मामला दर्ज

**जयपुर।** जवाहर नगर क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने अपनी बहू पर पत्नी के बैंक लॉकर से सोने के गहने और तीन सोने के बिस्किट गायब करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि बहू से गहनों के बारे में पूछने पर उसने सास-ससुर से अभद्रता की और दहेज के मामले में फंसाने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार जवाहर नगर निवासी बुजुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी ने पंजाब नेशनल बैंक में लॉकर ले रखा है। इसमें पत्नी ने अपने सोने के गहने और तीन सोने के बिस्किट सुरक्षित रखे थे। शिकायत में बताया कि पिछले कुछ महीनों से बहू भी बैंक लॉकर से लेन-देन कर रही थी। परिवादी के मुताबिक उन्होंने काफी समय से लॉकर की जांच नहीं की थी। कुछ दिन पहले जब वे लॉकर संभालने बैंक पहुंचे तो उसमें रखे सोने के गहने और तीनों बिस्किट गायब मिले। इस संबंध में बहू से पूछताछ की तो वह नाराज हो गई। आरोप है कि उसने लॉकर में गहने और बिस्किट रखे होने से ही इनकार कर दिया और उल्टा सास-ससुर पर झूठा आरोप लगाने की बात कहते हुए दहेज के मामले में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद बुजुर्ग ने थाने में बहू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

### वार्ड 47 के चुनाव में गड़बड़ी पर जवाब मांगा

**जयपुर।** महानगर प्रथम की जिला अदालत ने नगर निगम के वार्ड 47 के पार्षद पद के चुनाव में अनियमिता से जुडे मामले में निर्वाचित प्रत्याशी दीपा नाथावत, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन अधिकारी और आरओ, सांगानेर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने यह आदेश कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी दामोदर मीणा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अदालत को बताया कि गत 11 सितंबर को हुए चुनाव में मतदान केन्द्र संख्या 673 पर एक ही ईवीएम के दो अलग-अलग सीरियल नंबर दर्ज किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी के इलेक्शन एजेंट को दिए गए प्रपत्र में ईवीएम का नंबर दूसरे अभ्यर्थी के इलेक्शन एजेंट को दिए नंबर से अलग था। याचिका में कहा गया कि पहली ईवीएम में खराबी के कारण दो घंटे तक मतदान बाधित रहा। पहली मशीन में 191 व दूसरी मशीन में 549 वोट दर्ज थे, लेकिन मतगणना विवरण में केवल 549 मत ही दर्शाये गए। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता और विजय उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर केवल 206 मतों का ही रहा है। मौके पर लिखित पुनर्मतदान की मांग के बावजूद उसका निस्तारण नहीं किया गया और चुनाव परिणाम घोषित कर दिया।

### 24 साल पुराने केस में जेल अधीक्षक बरी

**जयपुर।** जयपुर महानगर प्रथम की अदालत (अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-12) ने 24 साल पुराने आपराधिक मामले में जयपुर सेंट्रल जेल के तत्कालीन अधीक्षक विनोद कुमार माथुर (72) को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया। मामला दिसंबर 2002 का है। लखनऊ से प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए एक कैदी को रात में जेल में दाखिल नहीं करने और रेलवे प्लेटफॉर्म पर रखने के आरोप में तत्कालीन मजिस्ट्रेट ने जेल अधीक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 166, 188, 174 और 222 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता भानु प्रकाश शर्मा एवं हर्ष गोस्वामी ने पैरवी करते हुए दलील दी कि कैदी को जेल लाए जाने की पूर्व सूचना तत्कालीन अधीक्षक को नहीं दी गई थी। मुख्य गवाह कांस्टेबल की जिरह में भी सामने आया कि जेल के मुख्य द्वार पर तैनात गार्ड ने अधीक्षक तक सूचना नहीं पहुंचाई थी। बचाव पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए तर्क दिया कि जानबूझकर अवज्ञा साबित हुए बिना किसी अधिकारी को आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और कानूनी दलीलों पर विचार के बाद माना कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा।

### भाजपा मुख्यालय में दीपोत्सव का आगाज

**जयपुर।** भाजपा प्रदेश कार्यालय में दीपोत्सव के प्रथम दिन धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जहां मुख्यालय को रोशनी से सजाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यालय में प्रवेश द्वार पर स्थित प्रथम पूज्य श्री गणेशजी की पूजा अर्चना की और संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, डॉ. मिथिलेश गौतम ने रोशनी का निरीक्षण किया और आतिशबाजी की।

# त्योहारों पर भीड़ नियंत्रण के लिए 117 स्पेशल ट्रेन

- जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर व जोधपुर स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया से चरणबद्ध प्रवेश

**जयपुर** (कासं)। त्योहारों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने प्रमुख स्टेशनों पर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के विशेष इंतजाम किए हैं। जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर और जोधपुर स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां से यात्रियों को चरणबद्ध तरीके से प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जा रहा है। इससे प्लेटफॉर्मों पर अनावश्यक भीड़ रोकी जा रही है।

स्टेशनों पर रोलिंग क्राउड मैनेजमेंट योजना लागू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की तैनाती के साथ टिकट के लिए अतिरिक्त काउंटर भी खोले गए हैं। मुख्यालय और सभी मंडलों में 24 घंटे संचालित नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं, ताकि आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई हो सके। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए 117 विशेष ट्रेनों के 937 फेरे संचालित कर रहा है। साथ ही 50 ट्रेनों में विभिन्न श्रेणियों के 140 अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए हैं। यात्री मांग की लगातार समीक्षा की जा रही है और जरूरत के अनुसार अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।

# 'दो दशक बाद पाँचना बांध की नहरों में लौटा पानी, 21 गांवों को मिलेगी सिंचाई सुविधा'

- 50 करोड़ की लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत, नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण पर 11.50 करोड़ के कार्य शुरू; मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से जल विवाद का समाधान हुआ

-कार्यालय संवाददाता-

**जयपुर।** करौली जिले में गंभीर नदी पर बने पाँचना बांध से जुड़े करीब दो दशक पुराने जल वितरण विवाद का किसानों और प्रशासन के बीच संवाद एवं सहमति से समाधान हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर वर्ष 2026-27 के बजट में गुडला सहित आसपास के 21 राजस्व गांवों के लिए 50 करोड़ रुपए की पाँचना लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्वीकृत की गई है। वहीं बांध के नहरी तंत्र की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए 11.50 करोड़ रुपए के कार्य शुरू हो चुके हैं।

लगभग 2100 एमसीएफटी जल भंडारण क्षमता वाला पाँचना बांध करीब 10 हजार हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई से जुड़ा है। जल वितरण को लेकर किसानों के बीच मतभेद के कारण वर्ष 2006 के बाद से बांध के कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा था। एक ओर कमांड क्षेत्र के किसान नहरों से सिंचाई की मांग कर रहे थे, वहीं गुडला सहित 21 गांवों के किसान लिफ्ट सिंचाई परियोजना चाहते थे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में दोनों पक्षों के बीच संवाद और समन्वय से 30 जून 2026 को समाधान पर सहमति बनी।

गुडला संघर्ष समिति, ग्रामोत्थान संस्था और गंभीर नदी जल बचाओ समिति के प्रतिनिधियों ने भी सरकार के प्रयासों की सराहना की।

समझौते के बाद तकनीकी परीक्षण और आवश्यक तैयारियां पूरी कर 6 जुलाई 2026 को करीब दो दशक बाद पाँचना बांध से नहरों में जल प्रवाह शुरू किया गया। लिफ्ट सिंचाई परियोजना से 21 गांवों को लाभ मिलेगा, जबकि नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण से कमांड क्षेत्र के किसानों को बेहतर जल उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

# एफटीआईआई प्रवेश परीक्षा में जयपुर की सरगम भटनागर ने देशभर में किया टॉप

## सरगम ने 82.25 प्रतिशत अंक हासिल कर पाया पहला स्थान, दूसरे प्रयास में मिली सफलता

**जयपुर।** जयपुर की सरगम भटनागर ने फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई), पुणे की प्रवेश परीक्षा 2024-25 में देशभर में प्रथम स्थान हासिल कर राजस्थान का नाम रोशन किया है। उन्होंने 82.25 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पाया। अब उन्हें संस्थान के एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (टेलीविजन) में इलेक्ट्रॉनिक सिनेमैटोग्राफी विशेषज्ञता के साथ प्रवेश मिलेगा।

सरगम ने जयपुर के महारानी कॉलेज से नाट्यशास्त्र (ड्रामेटिक्स) में स्नातक किया है। यह उनका दूसरा प्रयास था। पिछले वर्ष प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर साक्षात्कार तक पहुंची थीं, लेकिन अंतिम चयन नहीं हो पाया। इसके बाद भी



उन्होंने तैयारी जारी रखी और इस बार देशभर में पहला स्थान हासिल किया।

एफटीआईआई में विभिन्न विभागों की महज 15 सीटों के लिए देशभर से हजारों अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं। चयन प्रक्रिया में संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईटी) के तहत दो लिखित परीक्षाओं के बाद प्रायोगिक परीक्षा और साक्षात्कार में सफल होना अनिवार्य है। संस्थान से जया बच्चन, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसी फिल्मी हस्तियां प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं।

सरगम का लक्ष्य सफल सिनेमैटोग्राफर बनना है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय मेहनत और माता-पिता के विश्वास को दिया। सरगम ने बताया कि उनके पिता ने असफलता की स्थिति में भी प्रयास जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार, यही विश्वास और निरंतर मेहनत आज उनकी सफलता का आधार बने।

# फर्जी पट्टा बनाकर भूखंड बेचने वाला बदमाश पकड़ा

**जयपुर।** बस्सी पुलिस ने कूटरचित दस्तावेज तैयार कर आवासीय भूखंड बेचने और खरीदार को 10 लाख रुपए नहीं देने पर भूखंड किसी अन्य व्यक्ति को बेचने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक ही भूखंड के फर्जी आवंटन पत्र तैयार कर धोखाधड़ी की थी।

पुलिस उपायुक्त पूर्व रंजीता शर्मा ने बताया कि परिवादी गोविंद सिंह ने 26 सितंबर 2026 को न्यायालय के इस्तगासे के जरिए बस्सी थाने में मामला दर्ज कराया था। परिवादी के अनुसार उसने सूरजपोल गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की शिव विहार-ए योजना, मानसाखेड़ी, बस्सी में 100 वर्ग गज का भूखंड संख्या ए-18 आरोपी पंकज नावरिया से 70 हजार रुपए में खरीदा था। इसके बदले आरोपी ने उसे आवंटन पत्र, नक्शा, साइट प्लान और रसीद भी दी थी। परिवादी जब भूखंड पर निर्माण कार्य कराने पहुंचा तो पता चला कि आरोपी ने कूटरचित आवंटन पत्र के जरिए भूखंड बेचा है, जबकि समिति की ओर से यह भूखंड पहले ही किसी अन्य व्यक्ति किस्तूर चंद सोनवाल को आवंटित किया जा चुका था। परिवादी ने आरोपी से इस संबंध में बात की तो उसने कथित तौर पर बताया कि उसने सोसायटी से भूखंड का दूसरा पट्टा बनवा रखा है और उसे मोटी रकम में बेच देगा। आरोपी ने भूखंड वापस लेने के लिए परिवादी से 10 लाख रुपए मांगे और रकम नहीं देने पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए किसी अन्य व्यक्ति को भूखंड बेचने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और थाना प्रभारी लिखमाराम बटेसर ने आरोपी पंकज नावरिया (43) निवासी गोनेर रोड जयपुर को गिरफ्तार किया गया।

# दिवाली पर सुरक्षा में जुटेंगे 477 दमकलकर्मी

**जयपुर।** दीपावली पर जब पूरा शहर दीपों, रोशनी और आतिशबाजी के उल्लास में डूबा होगा, तब 477 फायर फाइटर्स और अधिकारी शहर की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे होंगे। लोग परिवार के साथ त्योहार मनाएंगे, लेकिन दमकलकर्मी दूसरों की खुशियों को सुरक्षित रखने के लिए अपने घरों से दूर रहकर मोर्चे पर तैनात रहेंगे। आगजनी की आशंका को देखते हुए नगर निगम ने सभी फायरमैन की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। शहर के 12 फायर स्टेशनों के अलावा 12 चिह्नित पुलिस थानों और प्रमुख स्थानों पर दमकलें तैनात रहेंगी। तीन पारियों में 24 घंटे ड्यूटी होगी। निगम का कंट्रोल रूम भी चौबीसों घंटे सक्रिय रहेगा।

**12-12 फायर और पुलिस स्टेशनों पर तैनाती**

दीपावली पर आगजनी की घटनाओं से तत्काल निपटने के लिए फायर ब्रिगेड ने विशेष कार्ययोजना तैयार की है। शहर के सभी 12 फायर स्टेशनों पर दमकल और स्टाफ उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय और जिला प्रशासन की ओर से चिह्नित 12 पुलिस थानों पर भी दमकल वाहन तैनात किए जाएंगे। ये वाहन दीपावली से तीन दिन पहले और तीन दिन बाद तक संबंधित स्थानों पर मौजूद रहेंगे।

एडिशनल कमिश्नर नरेंद्र बंसल के अनुसार दीपावली को देखते हुए सभी फायर वाहनों की मॉक ड्रिल करवाई गई है और उन्हें कार्यशील स्थिति में तैयार किया गया है। प्रत्येक दमकल की लोकेशन, उस पर तैनात स्टाफ और संपर्क नंबर निर्धारित किए गए हैं। इस कार्ययोजना को आमजन के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि जरूरत पडने पर लोग नजदीकी फायर स्टेशन या उपलब्ध दमकल से सीधे संपर्क कर सकें।

**परकोटे के बाजारों पर रहेगी विशेष नजर**

पुराने शहर के बाजारों और संकरी गलियों में आग लगने की स्थिति में दमकलों को मौके तक पहुंचाना बड़ी चुनौती होती है। इसे देखते हुए परकोटे में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कोतवाली, माणक चौक थाना और नगर निगम के हेरिटेज भवन पर एक-एक फायर वाहन तैनात रहेगा। इसके अलावा घाटगेट फायर स्टेशन भी नजदीक होने से वहां से तत्काल दमकल भेजी जा सकेगी। परकोटे के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में शामिल पुरोहितजी का कटला भी फायर ब्रिगेड की विशेष निगरानी में है। यहां सामने स्थित नगर निगम के हेरिटेज भवन में एक दमकल स्थायी रूप से तैयार रखी है।

**58 दमकल, 25 फायर बाइक और 477 कर्मचारी**

फायर उपायुक्त दुर्गा कुमारी के अनुसार नगर निगम के पास वर्तमान में 12 फायर स्टेशन और कुल 58 दमकल वाहन उपलब्ध हैं। इनमें 46 बड़ी और 10 छोटी दमकलें शामिल हैं। इसके अलावा ऊंची इमारतों में आग बुझाने और बचाव कार्य के लिए 70 मीटर की एक एरियल हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म (एएचएलपी) और 36 मीटर की एक एडब्ल्यूटी उपलब्ध है। तंग गलियों और ऐसे इलाकों में जहां बड़ी दमकलों का पहुंचना मुश्किल है, वहां 25 फायर बाइक का उपयोग किया जाएगा। इन संसाधनों के संचालन के लिए 157 चालक और 309 फायरमैन तैनात रहेंगे। अधिकारियों की टीम में एक मुख्य अग्निशमन अधिकारी (सीएफओ), चार फायर ऑफिसर और पांच सहायक फायर ऑफिसर भी शामिल हैं। इस तरह कुल 477 फायर फाइटर्स और अधिकारी दीपावली के दौरान शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे।

# ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर रोडवेज चालक से मारपीट का आरोप

**जयपुर।** सिंधी कैंप बस स्टैंड पर शुक्रवार सुबह सवारियां बैठाने को लेकर हुए विवाद में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर रोडवेज बस चालक से मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगा है। चालक का आरोप है कि इंस्पेक्टर ने उसके साथ मारपीट करने के बाद उसे ड्यूटी रूम में करीब दो घंटे तक बंद रखा। घटना के बाद रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। भरतपुर डिपो के चालक सतवीर डागुर (57) के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे वह बस का पंचर टायर ठीक करवाने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान सिविल ड्रेस में मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी (30) आगरा जाने वाली सवारियों को जबरन बस में बैठाने के लिए आगे आ गए। चालक ने बस का टायर पंचर होने की मजबूरी बताई तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई।

चालक का आरोप है कि विवाद बढ़ने पर इंस्पेक्टर बस के केबिन में चढ़ गए और उसका गिरेबान पकड़कर थप्पड मार दिया। इसके बाद उसे ड्यूटी रूम में ले जाया गया, जहां सुबह करीब 9 बजे तक बंद रखकर मारपीट की गई। वहीं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर लोकेश चौधरी ने मारपीट और बंधक बनाने के आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि कुछ यात्री चलती बस के पीछे दौड़ रहे थे। उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्होंने बस रोकने का इशारा किया था, लेकिन चालक ने बस की गति बढ़ा दी। नीचे उतरने के लिए कहने पर चालक ने उनके साथ गाली-गलौज की। दूसरी ओर घटना को लेकर रोडवेज कर्मचारी फेडरेशन के महामंत्री सत्यनारायण शर्मा ने नाराजगी जताते हुए घटना की निंदा की। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

# जमीन विवाद में 3 आरोपियों को हाईकोर्ट से राहत मिली, गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक

- चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई, पुलिस से मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट

**जयपुर।** राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ ने जमीन विवाद से जुड़े मामले में पूजा मोरदिया, महेश मोरदिया और राजेश सैनी को अंतरिम राहत देते हुए आगामी आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने 5 नवंबर 2026 को यह आदेश दिया। अदालत ने आरोपियों को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं।

मामला जयपुर ग्रामीण के रायसर थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 121/2026 से जुड़ा है। पूजा मोरदिया और राजेश सैनी की ओर से अलग-अलग आपराधिक विविध याचिकाएं दायर की गई थीं। दोनों याचिकाएं एक ही प्राथमिकी से संबंधित होने के कारण अदालत ने उनकी संयुक्त सुनवाई की।

याचिकाकर्ता पक्ष के अनुसार, महेश मोरदिया ने 11 अक्टूबर 2018 को 2.83 हेक्टेयर जमीन 99 लाख 88 हजार 500 रुपए में खरीदी थी। होटल व्यवसाय के अनुभव के आधार पर इस जमीन पर होटल या रिसॉर्ट विकसित करने के उद्देश्य से 21 जुलाई 2022 को मेसर्स इन्फिनिटी ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी गठित की गई। इसके बाद जमीन कंपनी को 45 लाख 50 हजार रुपए में बेचे जाने की बात कही गई। बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि होटल-रिसॉर्ट विकसित नहीं हो पाने के कारण परिवादी ने 24 अप्रैल 2026 को स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। इसे कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) में अपलोड किया गया और बाद में मंजूरी मिली। इसके बाद आरओसी और राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में कार्रवाई हुई तथा 2 जुलाई 2026 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। बचाव पक्ष ने पूरे मामले को मूल रूप से दीवानी विवाद बताते हुए आपराधिक कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं, परिवादी पक्ष का आरोप है कि इस्तीफे पर उसके हस्ताक्षर फर्जी थे और उसे कंपनी से बाहर करने के लिए साजिश रची गई। परिवादी के अधिवक्ता ने राजेश सैनी को भी कथित साजिश में प्रमुख भूमिका निभाने वाला बताया।

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी डीसीपी रामकिशन केस डायरी और तथ्यात्मक रिपोर्ट के साथ अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि परिवादी ने इस्तीफे के संबंध में ई-मेल प्राप्त नहीं होने की बात कही थी, लेकिन इस पहलू की स्वतंत्र जांच नहीं की गई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और मामले की परिस्थितियां देखने के बाद तीनों आरोपियों को आगामी आदेश तक गिरफ्तार नहीं करने के निर्देश दिए। साथ ही जांच अधिकारी को मामले की स्वतंत्र एवं गहन जांच कर अगली सुनवाई पर लोक अभियोजक के माध्यम से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।